मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरीमार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र-21 /2013

दिनांक: लखनऊ: मई,23 , 2013

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को अंकित किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र निर्गत किये गये है परन्तु मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि थाना प्रभारी संज्ञेय अपराधों में सूचना प्राप्त होने के उपरॉत भी दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नही करते है ।

2- धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता 1973 निम्नवत् है:-

"Section 154 in The Code Of Criminal Procedure, 1973

154. Information in cognizable cases.
(1) Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read Over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf.
(2) A copy of the information as recorded under sub- section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant.
(3) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him, in the manner provided by this Code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence."

3- किमिनल ला एमेन्डमेन्ट अधिनियम 2013 दिनॉक 3 फरवरी 2013 से प्रवृत्त हुआ है और उसके द्वारा भा0द0सं0 के अन्तर्गत धारा 166A सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत् है। :-

"166A. Whoever, being a public servant,—
(*a*) knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or
(*b*) knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or
(*c*) fails to record any information given to him under subsection
(*1*) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and in particular in relation to cognizable offence punishable under s e c t i o n 354, section 354A, section 354B, section

354C, sub-section (2) of section 354D, section 376, section 376A, section 376B, s ection 376C, section 376D or section 376E,
shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both."

3- क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 के लागू होने के पश्चात् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 मुख्यालय द्वारा एक परिपत्र संख्या-डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दिनाँक 12 अप्रैल 2013 को निर्गत किया गया है जिसमें समस्त प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त परिपत्र की प्रति पुनः सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रकिया संहिता राम किशोर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा क्रिमिनल लोक हित याचिका संख्या-9187/2013 उ0प्र0 राज्य व अन्य में आदेश पारित करते हुए घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करने के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त किया गया है ।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता तथा क्रिमिनल ला एमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें । अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

<u>संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।</u>

23-5-13

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित :-

1-पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ ।
2-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।